आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
02/05/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस0ए0आर0 पुनरीक्षण 129/2012** **विजय कच्छप बनाम् तुलसी दास खेमजी रायपथ एवं अन्य** प्रश्नगत् पुनरीक्षण वाद एस0 ए0 आर0 अपील संख्या–09-R15/2012-13 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। अपर समाहर्त्ता के न्यायालय द्वारा विशेष विनियमन पदाधिकारी के न्यायालय से एस0 ए0 आर0 वाद संख्या–730/2008–09 में पारित आदेश को रद्द करते हुये अपील आवेदन स्वीकृत किया गया था। प्रश्नगत् वाद में उभयपक्ष लगातार अनुपस्थित रहे है। आवेदक के तरफ से अंतिम हाजिरी दिनांक–14.08.2018 को दी गयी थी। दिनांक–17.01.2022, 18.04.2022 तथा 28.04.2022 को लगातार मौका दिये जाने के पश्चात् भी आवेदक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। अंततः उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर इस वाद को निष्पादित करने का निर्णय लिया गया। विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची द्वारा खाता संख्या–28, प्लॉट–108, रकबा–3.13 एकड़, ग्राम–गुंदू के भूमि को वापसी हेतु आदेश पारित किया गया था। आवेदकों का दावा है कि प्रश्नगत् भूमि का अंतरण छल–प्रपंच द्वारा 20–25 वर्ष पूर्व किया गया था। Title Suit-691/1960 में समझौता के आधार पर डिक्री प्राप्त हुई थी, जिसकी वैधानिक मान्यता नहीं है। अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इसी भूमि को लेकर एक अन्य भूमि वापसी वाद क्रमांक–18/1996–97 भी सुनवाई के पश्चात् खारिज किया जा चुका था। कास्तकारी अधिनियम–89 के तहत् बंदोबस्त पदाधिकारी के समक्ष वाद संख्या–234/1990–92 में भी प्रश्नगत् भूमि पर फैक्ट्री अवस्थित होने का स्पष्ट निष्कर्ष उल्लेखित है। अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि 1956 में उक्त भूमि लुण्डरू उरांव के द्वारा अलीउद्दीन अंसारी को हस्तांतरित की गयी। Title Suit क्र0 691/1960 में समझौता के आधार पर डिक्री प्राप्त हो गयी। विपक्षियों के द्वारा	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
	उक्त भूमि 1961 में क्रय की गयी, जिसके पश्चात् उनके पक्ष में नामान्तरण भी 1961–62 तथा 1963–64 में किया गया है। कारखाना निरीक्षक द्वारा वर्ष–1963 में इस फैक्ट्री का नक्शा अनुमोदित किया गया है तथा दिनांक–16.07.1963 को विद्युत संयोग भी प्राप्त किया गया है। इन तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि 1960 से ही प्रश्नगत् भूमि विपक्षियों के दखल में रही है। भूमि वापसी का प्रथम वाद वर्ष–1996 में दायर किया गया था, जो खारिज कर दिया गया। वर्तमान वाद वर्ष–2008 में दायर किया गया है, जो भूमि पर फैक्ट्री निर्माण के 48 वर्षों के पश्चात् दायर किया गया है। भूमि वापसी वाद संख्या–18/1996–97 पूर्व में ही खारिज हो चुका था, जो लुण्डरू उरांव के उत्तराधिकारी शनिचरवां उरांव एवं चेठा उरांव द्वारा दायर किया गया था। बंदोबस्ती प्रक्रिया के दौरान भी उक्त फैक्ट्री अवस्थित होने की पुष्टि हुई है तथा तदनुसार सर्वे के इन्द्राज भी किये जा चुके है। स्पष्टतः यह विषय रेस–जूड़ीकांटा से आच्छादित है, तथा भूमि–वापसी का आवेदन कालबाधित भी है। अपीलीय न्यायालय द्वारा विस्तृत विवेचना करते हुये आदेश पारित किया जा चुका है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्कता नहीं है। आवेदकों की तरफ से कोई ऐसा तथ्य भी उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे कि इस विषय पर पुर्नविचार करने की आवश्यकता हो, वर्णित परिस्थिति में प्रश्नगत् पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित प्रमण्डलीय आयुक्त प्रमण्डलीय आयुक्त	

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.07.23 15:38:21 +05:30
Location: 192.168.1.40